भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5349

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

'पहले आओ पहले पाओ आवास योजना' में कन्वेयंस डीड में विलंब

†5349. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जून, 2023 में द्वारका सेक्टर 19-बी में एमआईजी फ्लैटों के लिए पहले आओ पहले पाओ आवास योजना चरण-चार नामक योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो फ्लैटों के कन्वेयंस डीड के लिए आवेदन करने वाले सफल आवेदकों की कुल संख्या कितनी है और आज की तारीख तक कितने मामले लंबित हैं;
(ग) फ्लैटों की कन्वेयंस डीड प्रक्रिया में लम्बे और अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं,
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कन्वेयंस डीड प्रक्रिया में ऐसे विलंब का मुख्य कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत है;
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए ऐसे विलंब और गलत कार्यों में लिप्त डीडीए अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
(च) सरकार द्वारा घर खरीदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए डीडीए फ्लैटों से संबंधित विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निपटान में तेजी लाने और सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) हाँ
(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नए आवास पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, हस्तांतरण विलेख के लिए किए गए आवेदनों के कुल मामलों की संख्या 19 है और आज की तिथि तक लंबित आवेदनों की संख्या शून्य है।

(ग) आज की तिथि तक, उक्त योजना के तहत आबंटित फ्लैटों के संबंध में हस्तांतरण विलेख जारी करने के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है। हालांकि, संपूर्ण देय राशि के भुगतान के बाद वित्त से दस्तावेज़ीकरण और एनओसी की प्रक्रिया सहित कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही हस्तांतरण विलेख जारी किए जाते हैं।

(घ) डीडीए के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(च) 2021 से, डीडीए अपनी सभी आवास योजनाओं के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बदल चुका है। पंजीकरण, फ्लैटों की बुकिंग, मांग-सह-आबंटन पत्र जारी करना, कब्जा पत्र, कब्जा पर्ची और हस्तांतरण विलेख के साथ-साथ मांग के भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इस डिजिटलीकृत दृष्टिकोण से समयबद्ध निपटान, पारदर्शिता और प्रक्रिया की कुशल निगरानी की सुविधा सुनिश्चित होती है। यह दृष्टिकोण मानवीय हस्तक्षेप को कम करने में भी मदद करता है, जिससे सिस्टम में अधिक निष्पक्षता आती है।